वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू0वि0वि0/डी0एस0डब्ल्यू/260/2025–26 अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध दिनांक : 06.10.2025

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 को वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गो के छात्रों के लिए समय–सारणी जारी की गई है जिसके अनुसार जिन छात्र/छात्राओं द्वारा सत्र 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म पूरित नहीं किया गया है वे छात्र समय–सारणी में दी गई तिथियों के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भर सकते हैं एवं जिन छात्रों द्वारा सत्र 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म पूरित किया गया था परन्तु किन्हीं कारणों से अपने विभाग के माध्यम से डी0एस0डब्लू कार्यालय में प्राप्त नहीं कराये जाने के कारण उनका छात्रवृत्ति आवेदन फार्म आनलाईन अग्रसारित नहीं किया जा सका था, को सूचित कराना है कि वे भी अपना छात्रवृत्ति आवेदन फार्म उक्त समय–सारणी के अनुसार अन्तिम रूप से दिनांक 20 अक्टूबर, 2025 तक अपने विभाग के माध्यम से डी0एस0डब्लू कार्यालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

1–दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना।

2–दिनांक 01 नवम्बर, 2025 तक छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना

3–दिनांक 01 नवम्बर, 2025 तक आवेदन फार्म की हार्ड कापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा करना।

4–जिन छात्र/छात्राओं द्वारा सत्र 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म पूरित किया गया था परन्तु उनके द्वारा अपने विभाग में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म जमा नहीं किया गया था वे भी अपना आवेदन फार्म समस्त संलग्नकों सहित अपने विभाग के माध्यम से दिनांक 20 अक्टूबर, 2025 तक अनिवार्य रूप से अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा कर दें।

5–सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि उनके विभाग में यदि किसी छात्र का छात्रवृत्ति आवेदन फार्म (सत्र 2024–25) जिसे अबतक अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा नहीं किया गया है वे तत्काल उन छात्रवृत्ति आवेदन फार्मो को कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

6.10.2025

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।

2–आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

3–विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4–अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण